भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1448

सोमवार, 09 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

ईपीएस-95 के तहत पेंशन में वृद्धि

†1448. डॉ. नामदेव किरसानः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) सहित विभिन्न श्रमिक संघों ने सरकार से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के तहत पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पेंशन में कब तक वृद्धि की जाएगी; और

(ग) 9,000 रुपये से कम पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त ईपीएस पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत मौजूदा देय ₹1,000/- प्रति माह की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों और जन प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 एक 'परिभाषित अंशदान- परिभाषित लाभ' वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष: (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर पर अंशदान; और (ii) ₹15,000/- प्रति माह तक केंद्र सरकार द्वारा वेतन के 1.16 प्रतिशत के अंशदान से मिलकर बनता है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इसी निधि से किया जाता है।

सरकार बजटीय सहायता के माध्यम से ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों को ₹1000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान कर रही है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वेतन के 1.16 प्रतिशत की बजटीय सहायता के अतिरिक्त है।

जारी....2/-

ईपीएस, 1995 के पैराग्राफ 32 के तहत अधिदेशित किए गए अनुसार इस निधि का वार्षिक रूप से मूल्य निर्धारण किया जाता है। इस मूल्य निर्धारण का उद्देश्य अंशदान आदि से होने वाले धन के अपेक्षित प्रवाह और लाभों के संदर्भ में बहिर्वाह (आउटफ्लो) को ध्यान में रखते हुए, निधि की दीर्घकालिक व्यवहार्यता निर्धारित करना है।

भारत सरकार, ईपीएफओ द्वारा संचालित ईपीएफ योजना, 1952, ईपीएस-95 और ईडीएलआई योजनाओं के माध्यम से संबंधित निधियों की संधारणीयता के साथ-साथ उन पर भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं के सदस्यों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ग): ईपीएस 95 के तहत ₹9,000/- से कम पेंशन प्राप्त करने वाले सक्रिय पेंशनभोगी सदस्यों की कुल संख्या 47,04,270 है।

****